रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 195(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं० आ० 212"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 2006

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2, आदेश 2006 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी,—

(क) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों के मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	31740,00
असम	5260.00
बिहार	16240.00
छत्तीसगढ़	12300.00
गोवा	180.00
गुजरात	9310.00
हरियाणा	7760.00
हिमाचल प्रदेश	2940.00
जम्मू-कश्मीर	1762.00
कर्नाटक	8880.00
केरल	19700.00
मध्य प्रदेश	33260.00
महाराष्ट्र	19830.00
मणिपुर	211.60
मिजोरम	200.00
नागालैंड	400.00
उड़ीसा	16060.00
पंजाब	3240.00
राजस्थान	24600.00

(1)	(2)
सिक्किम	130.00
तमिलनाडु	17400.00
उत्तर प्रदेश	58560.00
उत्तरांचल	1620.00
पश्चिमी बंगाल	12710.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों को उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी;

(ख) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के मद्दे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	3740.00
असम	550.00
बिहार	1420.00
छत्तीसगढ़	744.63
गुजरात	8280.00
हरियाणा	1820.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
जम्मू-कश्मीर	380.00
कर्नाटक	3230.00
केरल	2980.00
मध्य प्रदेश	7220.00
मणिपुर	90.00
मिजोरम	100.00
नागालैंड	60.00
उड़ीसा	2080.00
पंजाब	1710.00
राजस्थान	4400.00
तमिलनाडु	11440.00
उत्तर प्रदेश	5170.00
उत्तरांचल	340.00
पश्चिमी बंगाल	3930.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों को उपयोग के लिए दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुपयोजित अनुदान अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किए जा सकेंगे।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या किन्हीं राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(2)/06-वि-I]
के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 195(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C. O. 212"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 2 ORDER, 2006

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2006.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2005, as grants-in-aid of the revenues of-

(a) each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in

column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	31740.00
Assam	5260.00
Bihar	16240.00
Chhattisgarh	12300.00
Goa	180.00
Gujarat	9310.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Jammu and Kashmir	1762.00
Karnataka	8880.00
Kerala	19700.00
Madhya Pradesh	33260.00
Maharashtra	19830.00
Manipur	211.60
Mizoram	200.00
Nagaland	400.00
Orissa	16060.00
Punjab	3240.00
Rajasthan	24600.00
Sikkim	130.00
Tamil Nadu	17400.00
Uttar Pradesh	58560.00
Uttaranchal	1620.00
West Bengal	12710.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants;

(b) each of the State specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	3740.00
Assam	550.00
Bihar	1420.00
Chhattisgarh	744.63
Gujarat	8280.00
Haryana	1820.00
Himachal Pradesh	160.00
Jammu and Kashmir	380.00
Karnataka	3230.00
Kerala	2980.00
Madhya Pradesh	7220.00
Manipur	90.00
Mizoram	100.00
Nagaland	60.00
Orissa	2080.00
Punjab	1710.00
Rajasthan	4400.00
Tamil Nadu	11440.00
Uttar Pradesh	5170.00
Uttaranchal	340.00
West Bengal	3930.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Urban Local Bodies as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants :

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A.P.J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19 (2)/2006-L. I]
K. N. CHATURVEDI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.